न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/1967

1. रामस्वरूप पुत्र श्री लोहरे
2. सरवन पुत्र श्री लोहरे
3. पूरम पुत्र श्री शिवचरण
4. प्रताप पुत्र श्री रामस्वरूप
5. पदम पुत्र श्री रामस्वरूप
6. भूरा पुत्र श्री रामस्वरूप
7. महेन्द्र पुत्र श्री जवाहरलाल
8. कल्ला पुत्र श्री सरमन
9. लोकेन्द्र पुत्र श्री राजाराम

प्र.सं. 29.6.17 को श्री ... श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत
29.6.17

समस्त जाति रावत, समस्त व्यवसाय–कृषि
निवासीगण–ग्राम टोड़ा तहसील बेराड़
जिला शिवपुरी .... **आवेदकगण**

बनाम

नरेन्द्र पुत्र श्री राजाराम जाति धाकड़,
निवासी–ग्राम टोड़ा, तहसील बेराड़
जिला शिवपुरी ....**अनावेदक**

2017 June- 135

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध श्रीमान तहसीलदार बेराड़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/16–17 /अ–70 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2017

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-एक/निग./शिवपुरी/भू.रा./2017/1967

रामस्वरूप आदि विरूद्ध नरेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बेराड, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक-2/2016-17/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 24/06/2017 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	